उत्तर प्रदेश शासन
महिला कल्याण अनुभाग-1
संख्या-36/2024/762914/2024/60-1099/288/2024
लखनऊ::दिनांक:: 07 अक्टूबर, 2024

कार्यालय आदेश

श्रीमती ईरा आर्या, जिला प्रोबेशन अधिकारी, कन्नौजकोवित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी-2-2017/दस-2008-216/79, दिनांक 08.12.2008 में दिये गये प्राविधानानुसार वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 के भाग-2 से 4 के सहायक नियम-153 (1) के अन्तर्गत दिनांक-15.10.2024 से 120 दिवस का बाल्य देखभाल अवकाश एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
2- जिलाधिकारी, कन्नौज।
3- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
5- जिला परिवीक्षा अधिकारी, कन्नौज।
6- श्रीमती श्रीमती ईरा आर्या, जिला प्रोबेशन अधिकारी, कन्नौज द्वारा निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in